

Nareshji Anand

LL.B Paper - VI  
Part - II nd

Environmental Law

पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन

(i) उद्योग, संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा निस्सारण की अनुमति नहीं होगी :-

कोई भी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया चलाने वाला व्यक्ति ऐसा मानक से अधिक मात्रा में, जो विहित किये जाये, पर्यावरणीय प्रदूषणकारी का नती निस्सारण कर सकेगा और न उत्सर्जन और न उसे रोकना करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(ii) परिसंकटमय पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्ति प्रक्रियात्मक रक्षा पत्रों का पालन किया जाना -

कोई भी व्यक्ति किसी परिसंकटमय पदार्थ के संबन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुसरण तथा रक्षा के उपायों का अनुपालन किये बिना व्यवहार नहीं करेगा।

(iii) कतिपय मामलों में प्राधिकारियों और अभिकरणों की जातकारी का दिया जाना:-

जहाँ किसी व्यवस्था, व्यवस्थापन अथवा आकस्मिक कृत्य के कारण, विहित प्रावकों से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषणकारी का निस्सरण हुआ हो अथवा होने की आशंका हो तब ऐसे निस्सरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा उस स्थान का जहाँ ऐसे निस्सरण हुआ है अथवा होने की आशंका है, प्रभारी व्यक्ति, ऐसे निस्सरण से कारण पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने अथवा प्रसमित करने के लिए आवेदु होगा तथा इसके साथ ही वह विहित प्राधिकारी अथवा अभिकरण को, (a) ऐसी व्यवस्था की सूचना देगा तथा (b) माँग किर्षे जानें पर उसे सभी प्रकार की सहायता देगा।

उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार की व्यवस्था की सूचना मिलने पर चाहे वह किसी भी प्रकार से मिले, वह प्राधिकारी अथवा अभिकरण ऐसे पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक चयाशीष्य कर्षे के बारे उपचार करेगा जो आवश्यक हो।

उपधारा - (2) में निर्दिष्ट उपधारात्मक प्रावों में यदि प्राधिकारी अथवा अभिकरण द्वारा कोई अचय किया जाता है तो ऐसे अचय की राशि माँग किर्षे जानें की विधि से संपन्न किर्षे जानें की विधि तक ऐसी दर से वास्तु संपन्न जो सरकार द्वारा नियंत्र की जाय, सम्बन्धित व्यक्ति से सू राजस्व के वकाफा के तरह वसूल की जा सकेगी।

(3)

# ① प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ :-

के उद्भव्यों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ऐसी सहायक सजा वह आवश्यक समझे किसी स्थान में निरीक्षण प्रयोजनों के लिए प्रवेश करे -

- (i) इस सजा के केंद्रीय सरकार के कृत्यों में से किसी का पालन करना
- (ii) यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या कोई व्यक्ति है या किसी भी तरीके से ऐसे किसी कृत्यों का पालन किया जाना है या क्या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किसी उद्भव्यों का या इस अधिनियम के अधीन तामील की गई सूचना, किसे गये आदेश दिखे गये निर्देश अथवा अनुदेश प्राधिकरण का पालन किया जा रहा है या किया गया है।
- (iii) किसी संयंत्र, अभिलेख रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य साक्ष्य, पदार्थ की परीक्षा करने के प्रयोजन से अथवा किसी ऐसे स्थान की तलाशी लेने के लिए जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि उसके भीतर इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जाने वाला है तथा किसी ऐसे संयंत्र, अभिलेख, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य पदार्थ का उस दस्तावेज में अभिग्रहण करने के लिए जब उसे यह विश्वास

करने का कारण है कि प्रत्येक इस अधिनियम  
अधीन बनाये गए विधियों के अधीन  
दण्डनीय किसी अपराध के कारण का  
साक्ष्य दिया जा सकता है अथवा ऐसा अभियोग  
पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण के लिए अथवा  
इस करने के लिए आवश्यक है।

(8) किसी भी उद्योग प्रक्रिया को चलाने वाले  
अथवा किसी परिसरकर्म पदाधीन से व्यवहार  
करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा  
कि वह उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय  
सरकार द्वारा संश्लेषित किसे गये व्यक्ति  
को उसके उपधारा के अधीन कृत्यों के  
निर्वहन में सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध  
कराये और यदि वह ऐसा करने में विना  
किसी युक्ति युक्त कारण के असफल रहा  
है तो वह इस अधिनियम के अधीन  
अपराध का दोषी होगा।

(9) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन  
केन्द्रीय सरकार द्वारा संश्लेषित किसी व्यक्ति  
को उसके कृत्यों के निर्वहन में जान बूझकर  
विलास करेगा तो वह इस अधिनियम के  
अधीन अपराध का दोषी होगा।

(10) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)  
के उपबन्ध राज्य या किसी ऐसे क्षेत्र में  
जिसमें वह संहिता प्रवृत्त नहीं है उस राज्य या क्षेत्र  
में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के उपबन्ध नहीं  
तक हो सके इस धारा के अधीन किसी  
तलाशी या अभियोग को वैसे ही लागू होने  
जैसे वे प्रथास्थाने उक्त संहिता की धारा 94  
के अधीन या उक्त विधि के तत्स्थानी उपबन्ध  
के अधीन जारी की जाये वारण के प्राधिकार  
के अधीन की गई किसी तलाशी या अभियोग  
की लागू होनी है।